

सं० सं० 14/एम 11-4/15
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा०. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
निदेशक,
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 16.9.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सुलेख / सुलेश कुमार पिता-स्व. कैलाश प्र० सिंह ग्राम-पो०+थाना-विभुतीपुर जिला-समस्तीपुर सी.आरनं०-2015149640	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000 / - (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	ओम प्रकाश सिंह पिता-छेदी सिंह ग्राम-कोनौली पो०-जलहरा, थाना-राजपुर जिला-बक्सर सी.आरनं०-2014401116	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,50,000 / - (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
3	अन्नु देवी पति-पंकज कुमार सिंह ग्राम-नया बाजार बुलाकी सिंह चौक, पो०+थाना-बेतिया जिला-प० चम्पारण सी.आरनं०-2012675123	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,50,000 / - (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
4	सुशील कुमार पिता-अवध बिहारी चौधरी ग्राम+पो०-बेलाउर थाना-उदवंतनगर जिला-भोजपुर सी.आरनं०-2015531233	स्नायु रोग	₹ 50,000 / - (पचास हजार) स्वीकृत।
5	रंजु देवी पति-राम सुरेश शर्मा ग्राम+पो०-अमीयावर थाना-नासरीगंज जिला-रोहतास सी.आरनं०-2014809205	कैंसर रोग	₹ 80,000 / - (अस्सी हजार) स्वीकृत।

31/10/15
21/11/15

6	संजय कुमार यादव पिता-भरत प्रसाद यादव ग्राम-पड़री लछीराम पो0-तियांय थाना-आन्दर जिला-सीवान सी.आरनं0-2015439866	असाध्य रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
7	श्याम सुन्दर प्रसाद पिता-खुबा साह ग्राम-पीयरपुरवा पो0-मिर्जापुर थाना-मढौरा जिला-सारण सी.आरनं0-2015680043	ब्रेन टयुमर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 9,90,000 /-

- उक्त अनुदानों की कुल राशि ₹ 9,90,000 /-(नौ लाख नब्बे हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 709302.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस० पी०ई०डी० खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस०जी०पी०जी०आई०,RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

Handwritten signature
7/10/13

विश्वासभाजन
ह० / -
(डा०. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...209302...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।।


ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 1126 (14)

पटना, दिनांक - 8-10-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों /आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
4

सं० सं० 14 / एम 11-4 / 15
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा०. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक

रविन्द्र नाथ टैगोर अन्तर्राष्ट्रीय हृदय विज्ञान संस्थान,
मुकुन्दपुर, कोलकत्ता 700099

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 16.9.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	नाजीया प्रवीण पति-मो० शाहीद ग्राम-दुबरीया तील्हा पो०-बटपार, थाना-चकाई जिला-जमुई	हृदय रोग	₹ 1,60,000 / - (एक लाख साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,60,000 / -

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,60,000 / - (एक लाख साठ हजार) का क्रास चेक सं०.....
.....528910..... मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा०. आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक - 8-10-15

ज्ञापांक - 1139 (14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

